

**सूचना का अधिकार (आर टी आई) सामग्री समीक्षा समिति**  
**RTI Content Review Committee**

**विषय** : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के धारा 4(1) (बी), के तहत स्व-प्रेरणा प्रकटीकरण – समिति के गठन के बारे में।

**Sub** : **Suo-Motu disclosure under Section 4(1) (b) of RTI Act, 2005- Constitution of Committee – reg**

\*\*\*

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (ख) के तहत स्व-प्रेरणा प्रकटीकरण हेतु इस्ट्रैक की वेबसाइट में प्रकाशित सूचना की आवधिक समीक्षा और अद्यतित करने के लिए निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है :

The following committee is constituted for periodic review updation of information hosted in ISTRAC website towards Suo-Motu disclosure under Section 4(1) (b) of RTI Act, 2005:

1.	उप निदेशक, सी सी सी ए, Deputy Director, CCCA	अध्यक्ष Chairperson
2.	उप निदेशक , सी एस एस ए Deputy Director , CSSA	वै.अध्यक्ष Alt. Chairperson
3.	समूह प्रधान, टी डी एम जी Group Head, TDMG	सदस्य Member
4.	समूह प्रधान, पी पी ई जी ए Group Head, PPEG	सदस्य Member
5.	समूह प्रधान, आई जी एस ए / एन एस ए Group Head, IGSA/NSA	सदस्य Member
6.	प्रधान, परिवहन Head, Transport	सदस्य Member
7.	अनुभाग प्रधान, साइबर सुरक्षा अनुभाग Section Head, Cyber Security Section	सदस्य Member
8.	प्रधान, का व सा प्रशा/एफ ए ए, इस्ट्रैक Head P & GA/FAA, ISTRAC	सदस्य-सचिव Member Secretary

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।  
This issues with the approval of the Competent Authority.